Vol.-24 No.-2-2021 RNI No. -46269/87 ISSN-0975-4520 वर्ष-24-संख्या-2-2021

कला एवं धर्म शोध संस्थान, लोक कल्याणकारी ट्रस्ट, वाराणसी

Referred Peer Reviewed Quarterly Journal Approved by UGC Care List

कला सरोवर

KALA SAROVAR

(भारतीय कला एवं संस्कृति की विशिष्ट शोध पत्रिका)

प्रधान सम्पादक

डॉ0 प्रेमशंकर द्विवेदी

Vol.-24 No.-2-2021 RNI No. -46269/87 ISSN-0975-4520 वर्ष-24-संख्या-2-2021

Scanned with OKEN Scanner

Green Marketing: A Key Approach Towards the World of Sustainability Management 183-189
Gourab Das

Skilling Youth for Better India 190-195
Anita Deka Bora

Analysis Of Computer Self Efficacy Among the Higher Secondary School Students 196-201
Dr. Minikutty A Lekshmy Priya S

Looking-Glass Signifier in Carroll' sthrough The Looking- Glass 202-205
Raina Singh

Silent Feature Of Mukna (Manipuri Wrestling) And Mukna Kangjei At Oinam 206-210
Shri Longjam Baleshwor Singh

A Review Paper on Covid-19 Pandemic: Impact On Wellbeing Of Indian Railway Employees 211-215
Dr. Purnima Sharma Laxmi Panchal

An Overview of Digital Marketing in Environment With India 216-221
Dr. Vikas Tiwari

Women Activism and Gender Paritiesin Post-Modern Indian Writing in English 222-226
Mr. Sandeep K. Sanap

Quality Of Education Is Compromised Under Right to Of Education Under Right to Education Act 2009 In India Education Act 2009 In India: Exploring Ways to Enhance Quality 227-232
Prof. Vanitha

अनुपम सूद व्दारा अनुकृत डॉयलाग छायाचित्रे का अध्ययन 233-237
यति दत्त एवं डॉ. गुरदीप

A Comparative Content Analysis of The Times of India And Dainik Jagranon Women Issues 238-244
Anugya Asthana

जायकवाडी बांध आंदोलन मे जिला अहमदनगर के साम्यवादी दल का योगदान 245-251
प्रा.विघाटे गणेष शंकर डॉ. राजाराम कानडे

Art And Architecture of Adil Shahis 252-254
Dr. Arati Balvant Nadgouda

Role Of Microfinance in Poverty Reduction an Inter District Study Of West Bengal, India 255-260
Dr. Kishor Naskar Dr. Sourav Kumar Das***

'Worldview Of Wives and Daughters' In Shakespeare's Selected Plays 261-265
Dr. Santosh P. Rajguru,

Scanned with OKEN Scanner

जायकवाडी बांध आंदोलन में जिला अहमदनगर के साम्यवादी दल का योगदान

★ प्रा.डॉ. विधाटे गणेश शंकर ★★डॉ.राजाराम कानडे

सारांश:

जायकवाडी जलसिंचन परियोजना में सरकार की भूमिका और विस्थापित लोगों पर हुए सितम के कारण, विस्थापितों का पुनर्वास संबंधी प्रश्नों की ओर सरकार का नजरअंदाज की वजह से उभरा जन आंदोलन को सही अंजाम देने की भूमिका में अहमदनगर जिले के साम्यवादी दल के योगदान को उजागर करने के प्रयोजन में प्रस्तुत शोध आलेख पाठक, संशोधक को आंदोलन के प्रति सजग करेगा। इसमें जन आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम की जानकारी है। साथ ही आंदोलन कर्मियों का विश्वास कायम रखने के प्रयास में साम्यवादी अनुयायियों का अथक प्रयास ही मानवतावादी विचारधारा की तरफ पाठक को ले जाता है।

महत्त्वपूर्ण शब्द:

महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा साम्यवादी भूमिका की फल निष्पत्ति.

उद्देश्य:

1. जायकवाडी जलसिंचन परियोजना निर्माण में सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालना।
2. बांध निर्माण कार्य में पीड़ितों की मानसिकता को उजागर करना एवं जन आंदोलन के विषय पर प्रकाश डालना।
3. साम्यवादी विचारकों की भूमिका और उनका मानवतावादी प्रयास की दिशा पर प्रकाश डालना।
4. जायकवाडी बांध निर्माण एवं जन आंदोलन की शुरूआत और पुनर्वास संबंधी अधिनियम के प्रति वाचक कोसजग करना।
5. बांध पीड़ितों के आंदोलन की दिशा और फलनिष्पत्ति का अध्ययन करना।

प्रस्तावना:

महाराष्ट्र की मशहूर नदी गोदावरीके तट पे स्थित 'पैठण' के समीप स्थापितजायकवाडी बांध के कारण विस्थापित हुए किसान, खेती मजदूरों के आवास के प्रश्नों पर अहमदनगर के साम्यवादी विचार दलने बांध पीड़ितों के आंदोलन हेतु बिगुल बजाया जो अहमदनगर जिले के किसान आंदोलन एक यशस्वी आंदोलन के रूप में समझा जाता है। बेघरं भूमिहीन किसान
तथा मजदूरों की विपन्न अवस्था में वे बांध के वास्ते मृत्यु' को गले लगान सके, पुनर्वासके साथ बांध योजना इस तत्व के अनुसरण में अहमदनगर के साम्यवादी दल के अनुयायियों ने 'गोदावरी बांध परिषद' की सहयोग में राज्यव्यापी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया और उसे जिम्मेदारी के साथ निभाया।

1. जायकवाडी बांध योजना का ऐलान

तत्कालीन जलसंधारण मंत्री शंकरराव चौहान ने जनवरी 1965 में ख्यातनाम नदी गोदावरी एवं पैठण के पश्चिम दिशा में स्थित 'कावसन' गांव में जायकवाडी बांध निर्माण करने का ऐलान किया। जायकवाडी बांध की ऊंचाई 120 फीट और लंबाई 7मीलथी। इसकी बृहददीवारलगभग 120 फीट की थी। इस बांध से उपलब्ध पानी लगभग 25 मील दूर और 12 से लेकर 15 मील चौड़ाई के अहाते में रहनेवाला था।बांध का कुल खर्चा 70 करोड़ था। बांध की एक ओर 115 मील तथा दूसरी ओर 178 मील की दो नहरे निकालने का ऐलान किया गया।[1] सामान्यतः यह बांध मराठवाड़ा के अकाल को दूर करके वहां

★ इतिहास विभागाध्यक्ष,राधाबाई काळे महिला महाविद्यालय, अहमदनगर
★★ हिंदी विभागाध्यक्ष एस.एस.जी.एम.कॉलेज,कोपरगांव, जि. अहमदनगर

Scanned with OKEN Scanner

शैक्षिक, व्यवसायिक, औद्योगिक विकास की दृष्टि के तहत बांध निर्माण किया जा रहा था।''इस बांध परियोजना से मराठवाड़ा की 7.5 लाख एकड़ जमीन जलसिंचनमें आने वाली थी।''[2]इसलिए जायकवाडी बांध परियोजना मराठवाड़ा के चहुँमुखी विकास की एक मौलिक चाबी प्रतीत हो रही थी।

2.जायकवाडी बांध पीड़ितों के सत्याग्रह आंदोलन की नींव

महाराष्ट्र केतत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान ने 7 दिसंबर 1960 में स.गो.बर्वे की अध्यक्षता में समिति गठित की थी।[3]प्रस्तुत समिति ने पुनर्वास के बारे में निम्न सूचनाएं दी–बांध परियोजना में जिन किसानों की जमीन शासन ने अपने कब्जे में की हैं, उनके लिये पुनर्वास योजना तैयार करना और परियोजना के साथ ही मंजूर होना अनिवार्य है।[4]गुल्हाटी समिति के सम्मुख महाराष्ट्र की ओर से महाराष्ट्र शासन ने अकाल से पीड़ितों को इस योजना में सबसे पहले हक देने का मुद्दा प्रस्तुत किया था। लेकिन जायकवाडी बांध के ऐलान में शासन ने इसके बारे में कोई भी प्रारूपण प्रस्तुत नहीं किया।अतः 1962 की बर्वे सिंचन समिति की सिफारिशों को रोकने की संभावनाएं किसानों में तीव्र होने लगी। इस बांध के कारण शेवगांव, नेवासा, पैठण तथा गंगापुर जैसे चार तहसीलों के 66 गांव, 7 लाख क्विंटल से ज्यादा जवार फसल देने वाली 92 हजार एकड उपजाऊ जमीन और लगभग एक लाख से ज्यादा लोग बेघर होने वाले थें। इनमें से शेवगांव तहसील के 20 और नेवासा तहसील के 24 गांव बांध में डूबने वाले थें।[5] स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्र में वीर, पानशेत तथा कोयना इन बांध पीडितों के ढेर सारे प्रश्नों को सरकार ने अनदेखा किया था। इसलिए कई लोग दिशाहीन हो गए थे अतः 'वीर' बांध परियोजना परिषद के सामने भारतीय कम्युनिस्ट दल के कॉमरेड वसंतराव तुळपुळे ने 'पहले पुनर्वास फिर बांध' यह नारा देकर बांधों के आंदोलन का बिगुल बजाया था।[6]

बांध परियोजना निर्माण और उससे संबंधित प्रश्नों के कारणविपन्न किसानों ने नापसंदगी दिखाई। पैठण में आयोजित कांग्रेस की सभा में अहमदनगर के कांग्रेस अध्यक्षघुले पाटील ने शंकरराव चव्हाण की निंदा की। उनकी राय द्रष्टव्य है,''जायकवाडी बांध परियोजना की जगह जब निश्चित की गई तब शंकर चव्हाण और बाळासाहेब भारदे ने बांध की जगह यदि बदलने का प्रस्ताव भी सामने आया तो वे उसका जमकर विरोध करते क्योंकि शेवगांव, नेवासा तथा पैठण इन तहसीलों में साम्यवादी दल का काफी प्रभाव था और उनका प्रभाव या असर कम करने हेतु उनकी धनयुक्त जमीन को जल परियोजना में डूबने पर उन्हें बेघर करने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा था। इसलिए सत्ताधारियों ने अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में लगाई।[7]

साम्यवादियोंने 1 मार्च 1965 में शेवगांव तहसीलके'आगरनांदुर' में बांध पीड़ितों की एक सभा कॉमरेड नाना पाटीलकीअगुवाई में आयोजित की। इस परिषद में 'गोदावरी बांध परिषद' की स्थापना की गई।इस संगठन केसचिव कॉमरेड वसंतराव तुळपुळे, अध्यक्ष कॉमरेड विश्वनाथ कर्डिले थे।पुनर्वास प्रश्नके बारे में 'गोदावरी बांध परिषद' में कई मांगे स्वीकृत की गईं।

1. पुनर्वास का आलेखन तैयार करके उसे बांध परियोजना में स्थान मिलना चाहिए।
2. बांध में जिनकी जमीन जाने वाली है, उन्हें उतनी ही जमीन नहर पानी की मिलनी चाहिए।
3. जमीन का कब्जा लेते समय नई जमीन हक का ठहराव शीघ्र तैयार होना चाहिए।
4. पुनर्वास बांध योजना में गैर किसान को समाकर उन्हें उचित आर्थिक मदद करनी चाहिए।
5. बांध विकास में तबाह हो गई जमीन पर जितना भी कर्ज का बोझ हो उसे मिटाया जाए।
6. सरकार बांध पीड़ितों की संतानों को मुफ्त में शिक्षा देने का ऐलान करें।

सरकार ने उपर्युक्त बातों की ओर गौर करके उनपर यथाशीघ्र अमल करके उन्हें पूर्ण किया जाए।[8] साथ इन माँगों की पूर्ति हेतु किसानों ने आंदोलन के लिए तैयार होने का नारा दिया।

3.जायकवाडी बांध और सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ:

Scanned with OKEN Scanner

संगमनेरककॉमरेड दत्ता देशमुख ने जायकवाडी बांध पीड़ितों के असंतोष का अध्ययन करके 'गोदावरी परियोजना व महाराष्ट्र शासन' इस प्रकाशित निबंध में जायकवाडी बांध योजनाअशासकीय होने तथा गलत जगह पर निर्माण करने के प्रति मुहर लगाई।[9] सरकार ने इस खयाल की ओर अनदेखा किया। इसलिए कॉमरेड विश्वनाथ पाटील कर्डिले एवं कॉमरेड एकनाथ भागवत केमोरचा में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक बांध स्थल को देखने हेतु पधारे उस वक्त साम्यवादियों ने 2000 किसानों के मोर्चा में उन्हें आवेदन दिया।

महाराष्ट्र राज्य के सब बांध पीड़ितों की सभा का आयोजन दिनांक 26 तथा 27 जून 1965 को हुआ। जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड डांगे ने की और यह सभा 'महाराष्ट्र राज्य बांध और पुनर्वास परिषद' तथा साम्यवादी दल के निर्देशन में हुई। इसमें काकासाहेब गाडगीळ ने जायकवाडी बांध योजनाका सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश को होने वाली बात कहकर इस योजना पर प्रश्नचिह्न लगाने का प्रयास किया। इसलिए गोदावरी घाटमें बन रहे महाराष्ट्र केबांधों का अधिक खर्चा उठाने संबंधी प्रस्ताव यदि आ भी जाता है तो उसे मंजूर करने का सवाल निर्माण न हो इस लिंयें तत्कालीन केंद्रीय जलसंधारन मंत्री के.एल.राव नेजायकवाड़ी बांध को अतिशीघ्र मंजूरी दी। परिणामतः गोदावरी का ज्यादातर पानी आंध्र प्रदेश को ही मिलने वाला है यह निश्चितहो गया।''[10]

बाँध और पुनर्वास परिषदकेआदेश मुताबिक 29 जुलाई 1965 में मुंबई कोअहमदनगर जिले के हजारों बांध पीड़ित किसानों का विधानसभा पर मोरचानिकाला। उन्होंने सरकार को यह इशारा दिया कि पुनर्वास के प्रश्नों को कानून के तौर पर हक प्रदान नहीं किया तो प्रस्तुत बांध योजना को रोका जाएगा। महाराष्ट्र शासन ने इस बात की ओर अनदेखा करके जायकवाडी बांध परियोजना निर्माण हेतु भूमिपूजन समारोह को 18 अक्तूबर 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कर कमलों से निश्चित किया। साम्यवादी दल ने इस समारोह के खिलाफ बिगुल बजाया। पुलिसों की सजगता में भूमि पूजन के पहले कॉमरेड एकनाथ भागवत, कॉमरेड अचपळराव लांडेपाटील, कॉमरेड शशिकांत कुलकर्णी आदि साम्यवादी अनुयायियों को गिरफ्तार कर नासिक के हरसुल नामक कारागृह में बंद किया और भूमि पूजा समारोह संपन्न होने पर उन्हें रिहा किया।[11] इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की ऐसी मनचाही भूमिका में कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही भूमिका प्रतीत होती है।गोदावरी बांध परिषद व्दारा नियुक्त सभासद मंडल नेभुतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने बांध पीड़ितों के प्रश्न प्रकट किए जिसे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी स्वीकृति दी।''जिन बांध पीडितों को जिस गांव में पुनर्वासके लिए जमीन मिलेगी वहाँ जलसिंचन तथा पीने के लिए यथा योग्य पानी की सुविधा मिले।'' उन्होंने इसकी सूचना महाराष्ट्र शासन को दी।[12]इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना पीड़ितों के लिए यथा योग्य सुविधाएं न देने के कारण 18 मार्च 1966 में हो गई महाराष्ट्र राज्य बांध परिषद की कार्यकारी मंडल की सभा में पुनर्वास के अधिनियम के लिए गोदावरी बांध परिषद ने सत्याग्रह की राह पर कूच करके गोदावरी बांध कार्य रोकने का निर्णय लिया।[13]

ऊपरी फैसले के मुताबिक 14 मई 1966 को कॉमरेड रामराव पाटील थोरात के अगुवाई में, 19 मई को एरंडगांव के सरपंच कॉमरेड चंद्रभान पाटील के अगुआपन में; 26 मई को नेवासा तहसील के वकीलराव लंघे, 2 जून 1966 को कॉमरेड विश्वनाथ पाटील कर्डीले के आगुआपन में सत्याग्रह किए जिसमें क्रमशः 29, 77, 130, 114 अनुयायी प्रतिभागी हुए थे और इन्हें कई दिनों का कारावास भी हुआ था।[14] 9 जून कों श्रमिक महिला परिषद की अध्यक्षा वत्सलाबाई भागवत, अंजनाबाई दादा पाटील, सीताबाई काशीनाथ कर्डिले और सत्यभामा विश्वनाथ पाटील के आगुआपन में 101 किसान महिला सत्याग्रही की टुकडी ने सत्याग्रह करके बांध का कारोबार पूर्ण रूप से बंद किया। हालाँकि क्रेन वाहक डोजर तथा रोडरोलर को अपने कब्जे में करने वाली 24 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। शेष महिलाओं

ने पूरा दिन क्रेन वाहक के सम्मुख बैठकर अपना आंदोलन किया। शाम पाँच बजे आयोजित की गई सभा में अगले आंदोलन के स्वरूप की दिशा तय करने में अपने पारिवारिक सदस्यों को भी इस आंदोलन में प्रतिभागी करने का नारा दिया गया।[15] महिलाओं के इसी प्रयास में आंदोलन को एक मौलिक दिशा मिल गई।

4.जायकवाडी बांध और पुनर्वास में सरकार की भूमिका:

महाराष्ट्र शासन ने 'जायकवाडी बांध परियोजना' के ऐलान के पश्चात बांध पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी एकयोजनाबनाई। जिसके अनुसारसरकार ने 1884 के भूसंपादन अधिनियम के तहत 1000 रुपये की क्षतिपूर्ति की रकम देनी चाही।मंगर यह मदद विलंब से मिलने के कारण बांध पीड़ितों का असंतोष बढ़ गया ।इसलिए सन 1965 में सरकार ने 'पुनर्वास मंडल' की स्थापना की। इसका कार्यक्षेत्र केवल बांध पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक बँटवारा ही थाना कीपुनर्वास की कानूनी योजना बनाना। उसमें उन्होंने 1 एकड़ के लिए 1000रुपये के बदले 2000 रुपये कर दिए थे फिर भी महंगाई के परिप्रेक्ष्य में यह रकम काफी न थी इसलिए आंदोलन जारी रहा।[16]

'महाराष्ट्र राज्य बांध एवं पुनर्वास परिषद' का दूसरा अधिवेशन अहमदनगर में 18 मार्च 1969 में कॉमरेड डांगे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप सरकार ने किसानों की क्षतिपूर्ति की केवल नाममात्र रकम बढ़ाकर विद्रोही लोगों को खुश करने की कोशिश की। इसमें किसानों के जमीन का उचित साक्ष्यपत्र न देना, भ्रष्टाचार तथा किसानों के अज्ञान का नाजायद फायदा लेकर किसानों के कानूनी हक को नकारने कार्य प्रशासकीय अधिकारी कर रहेथेयह इल्जाम कॉमरेड डांगे नेकिया। डांगे की राय से किसानों के लिए 'पुनर्वासकानून'ही एकमात्र राहत देने में सक्षम है। उसके लिए आवश्यक अधिनियम की आवश्यकता है और बांधपीडितों पर हो रहे सितम को रोकने हेतु उन्होंने एक कार्यक्रम सप्ताह का नारा दिया। इसके अनुसार 2 से लेकर 9 अप्रैल तक महाराष्ट्र में जहां कहीं पुनर्वास के प्रश्न है उन तहसिलों में सप्ताह में हर रोज सैकड़ों किसानों का जमघट तहसीलदार कार्यालय या कचहरी के सामनें करने का ऐलान किया।[17]यदि सरकार इसकी ओर अनदेखा करेगी तब महाराष्ट्र के प्रशासकीय अधिकारी तथा मंत्रीगण को रोकने की बात तय हो गई।

परिषद के आदेश के अनुसार शेवगांव में 9 अप्रैल को कॉमरेड विश्वनाथ कर्डिले के आगुआपन में पहले 98 और बाद में 68 किसानों ने 144 दफा खारिज करके कचहरी के सम्मुख सत्याग्रह किया।पी.बी. कडुपाटील की आगुआपन में राहुरी में 45 किसानों के सहयोग में सत्याग्रह किया। उन्हें 7 दिनों का कारावास मिला। जिन्हें कारावास मिला उनमें पुणे की कॉमरेड कमलाबाई भागवत, कॉमरेड विश्वनाथ कर्डिले, कॉमरेड बाबासाहेब नागवडे, कॉमरेड वकील राव लंघे, कॉमरेड पी.बी. कडु, कॉमरेड चंद्रभान थोरात आदि का समावेश था।[18] इन्हें येरवड़ा कारागृह में भेज दिया गया।इस तरह क्षतिपूर्ति के प्रयास में सरकार की ओर से केवल नाममात्र प्रयास हुआ जिसका खंडन साम्यवाद के अनुयायियों ने बलपूर्वक करके आंदोलन को योग्य दिशा दी।

5.बांध पीड़ितों को जमीन और आर्थिक क्षतिपूर्ति करने का अधिनियम:

जायकवाडी बांध पीडितों के निरंतर आंदोलन केकारण महाराष्ट्र सरकार को इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना पड़ा। जायकवाडी बांध में भूमिहीन हुए किसानों, मजदूरों अथवा वंचितों को जमीन देने का फैसला लिया गया।नये पुनर्वास में पाठशाला, बिजली, पीने का पानी, अस्पताल आदि अत्यावश्यक सुविधाएँ नए गांव में स्थापित करने में सरकारके कटिबद्ध होने का ऐलान है। अगले छह माह में शेवगांव,नेवासा तहसील के बांध को 30 हजार एकड़ जमीन का बँटवारा किया जाएगा। इसकी घोषणा तत्कालीन राज्य पुनर्वासमंत्री माननीय शरद पवार ने 20 जुलाई 1974 को शेवगांव में आयोजित सभा में की।[19]

Scanned with OKEN Scanner

नेवासा तहसील के भूतपूर्व विधायक कॉमरेड वकीलराव लंघे की आगुआपनमें स्थापित समिति ने माननीय शरद पवार के सम्मुख बांध पीड़ितों को सीलिंग की सीमा तक जमीन उपलब्ध कराने की माँग की। शरद पवारजी ने अतिशीघ्र बांध पीड़ितों का पुनर्वास के संबंधी अधिनियम करने का विश्वास व्यक्त किया।[20]

सन 1976 में महाराष्ट्र सरकार ने बांध पीड़ितों के 'पुनर्वास अधिनियम' को मंजूरी दी। इसके अनुसार

1. बांध पीड़ितों कोसीलिंग सीमा के तहत सरकार की ओर जमीन प्रदान की जाएगी।
2. यदि किसानों को जमीन के बदले आर्थिक क्षतिपूर्ति की चाहत है तो उसे आर्थिक भुगतान दिया जाए।
3. ग्रामस्थल के गृह निर्माण के तहत किसान को उसके पारिवारिक सदस्य संख्या के मुताबिक भूखंड प्रदान किए जाएं। भूमिहीन किसान मजदूर व्यापारी अथवा उद्योजक को 186 से 280 चौरस मीटर केभूखंडदेने का प्रावधान हो।

सन 1976 के अधिनियम को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ औरपुनर्वास परियोजना के निर्वाह हेतु नेक प्रणाली तैयार करने की बात तय हो गई।[21]मगर प्रावधान में कुछ समस्याएँ निर्माण हो गई। बाढ़ पीड़ितों को जमीन देने का प्रावधान अधिनियम में करने पर भी सरकार पर इसका बंधन न था।पुनर्वास गाँव में वहाँ केबड़े जमींदार जमीन देने में आनाकानी कर रहे थे। इसलिए अनेक किसानों को आर्थिक रूप में सहायता देने का प्रयास रहाजिसे बांध पीड़ितों ने ठुकराया।अतः गोदावरी बांध परिषद के नेताओं ने बांध पीडितों के सुशिक्षित युवकों को नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने, बेघरों को 1500 रुपयों में मकान देने, खेतीकार्य के लिए मुफ्त में बिजली, आंतरिक सड़क, सुजल एवं पाठशालाओं का इंतजाम करने की माँग पुनर्वास मंत्री प्रतापराव भोसले के सम्मुख रखी थी जिसपर यथायोग्य अमल करने का विश्वास परिषद के नेताओं कोप्रतापराव भोसले ने दिया।[22]

6.जायकवाडी बांध प्रथम के आंदोलन की फल निष्पत्तिः

सन 1976के पुनर्वासअधिनियम के तहत कई बांध पीडितों का मूल गाँव के नजीकपुनर्वास कियागया। जायकवाड़ी बांध निर्माण में शेवगांव तथा नेवासा के जो गाँवडूब गए थेवहाँके रास्ते, पाठशाला एवं अस्पतालकी 70 प्रतिशत तक की कार्यपूर्ति सन 1978 ई. तक पूरी की गई।[23]बांध पीड़ितों को सन 1979 तक मकान के लिए 94 लाख तथा जमीन खरीदी के लिए 4.8 करोड रुपये दिए गए।बांध पीडितोंकी संतानों के लिए सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत जगह आरक्षित की।[24]शेवगांव तहसील केबांध पीडितों को जिस गाँव में जमीन मिली, उन जमीनों के सिंचन की सुविधाहेतुजायकवाड़ी बांध योजना से पानीउठाकर ताजनापुरगाँव सेलिफ्ट के माध्यम से कर देने की माँग की गई थी।सरकार ने'ताजनापुर' लिफ्ट योजना को मंजूरी दी लेकिन यह योजना शुरू होने में विलंब हुआ।[25]

1976 के पुनर्वास अधिनियम से बांध पीडित असंतुष्टथे। जिनकिसानोंकी जमीनबांधमें गई उन किसानों की बहुत कम क्षतिपूर्ति होने का इल्जाम साम्यवादियों ने किया। कुछ किसानों ने कोर्ट कचहरी के जरिए यथा योग्य क्षतिपूर्ति कर ली थी। साथ ही कुछ किसानों कोपुनर्वास के आहाते में जमीन प्राप्त नहीं हो सकी।उपरी दिक्कतों के अलावा 1976 में महाराष्ट्र सरकार ने पुनर्वासकानून के जरिए जायकवाडी बांध पीडितों के पुनर्वासकरने का जो प्रयास किया, उससे बांध सरकार के प्रति का क्रोधभाव कम होने में मदद हो गई। बांध के प्रारुपण के साथ ही पुनर्वास प्रारूप तैयार हो जाना चाहिए। जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान देने के कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। इस तरह की साम्यवादी नेताओं की दृढता एवं तद्संबंधी के आंदोलन को अनुपम सफलता मील गई। यह साम्यवादी दल को प्राप्त हुई सबसे बड़ी कामयाबी समझी जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

निष्कर्षः

1. जायकवाडी बांध परियोजना की कार्य गतिविधियों के स्पष्ट प्रारूपण को विशद न करके उसका ऐलानबांध पीडितों को धोखा देने के समान प्रतीत होता है।
2. साम्यवादियोंका अकालग्रस्त मराठवाड़ा के विकास के खातिर सरकारी योजनाओं के प्रति विरोध न था।बांध के जरिए एक प्रदेश के विकास के साथ–साथ वहां के अनगिनत लोगों का विस्थापनसाम्यवादियोंको नामंजूर था।
3. कोयना और वीर बांध योजना में पुनर्वासके दर्द को पूरी तरह मिटाया नहीं था। इसलिए 'पहले पुनर्वास फिर बांध योजना' इस खयाल को सम्मुख रखकर 'गोदावरी बांध परिषद' के माध्यम से बांध पीडितों का भव्य मोर्चा मार्क्सवादियों ने खड़ा करके लगभग दो शतक तक सरकार के साथ अथक संघर्ष करने का ऐलान ही उनके योगदान पर प्रकाश डालता है।
4. सन 1894 ई. के भूमिअधिग्रहण अधिनियम की तहत सरकार का बांध परियोजना ग्रस्त या पीडितों को मराठवाड़ा के विकास के नाम पर सितम करने का प्रयास शुरूसे देखा जाता है। साम्यवाद के दबाव तथा जन आंदोलन के परिणाम स्वरुप 1976 के पुनर्वास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को अपने गाँव के नजीक पुनर्वास की सुविधा देकर महाराष्ट्र सरकार ने लोगों केअसंतोष को कम जरूर किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

संदर्भ सूचीः

1. तुळपुळे, मालिनी, कॉमरेड वसंतराव तुळपुळेः कार्य व परिचय, शलाका प्रकाशन मुंबई 1979,पृ.85
2. पाक्षिक 'युगांतर', महाराष्ट्र राज्य कम्युनिस्ट पक्ष का मुखपत्र, दिनांक 25 जुलाई 1965,पृ.3.
3. राजदेव, त्रिंबक, महाराष्ट्र के विकास में कॉमरेड दत्ता देशमुख का कार्य(अप्रकाशित शोधप्रबंध),डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,औरंगाबाद,2002,पृ. 213 और 214.
4. डींर्तीतं ॆजंजम प्ततपहंजपवद ब्वउउपेपवद त्मचवतजए 1962ए त्पदजमक ंज जीम ळवअमतदउमदज च्तमेए छंहचनतए 1962ए चण्116ण
5. तुळपुळे, वसंतराव, महाराष्ट्र राज्य धोरण व पुनर्वसन परिषद 26,27 जून 1965 अहवाल,कल्पना मुद्रणालय,पुणे, 1965, पृ. 14.
6. तैत्रव,पृ. 2
7. गवंडी, पुंडलिक, लाल सूर्य, अमोल प्रकाशन, नारायण पेठ पुणे,20 नवंबर 199, पृ. 139.
8. पक्षिक, 'युगांतर', महाराष्ट्र राज्य कम्युनिस्ट दल का एजेंडा (मुखपत्र). दि. 14/03/1965, पृ. 13.
9. कॉमरेड देशमुख, दत्ता, गोदावरी परियोजना और महाराष्ट्र शासन सिंचन आयोग, दैनिक केसरी, दिनांक 3 व 4 जून 1965(पुनर्मुद्रित).
10. पक्षिक, 'युगांतर', महाराष्ट्र राज्य कम्युनिस्ट दल का एजेंडा (मुखपत्र), दिनांक 25 जुलाई 1965,पृ. 13
11. कॉमरेड पवार, कृष्णा, साक्षात्कार, दिनांक 15 नोव्हेंबर 2015, भूतपूर्व तहसिल सचिव भाकप,शेवगाव जि. अहमदनगर.
12. लाड श्रीकांत (संपादक), भारतीय कम्युनिस्ट दल के 50 वर्ष, भारतीय कम्युनिस्ट दल प्रकाशन, मुंबई, जनवरी 1976, पृ. 56.
13. दैनिक नगर टाइम्स, वर्ष प्रथम, अंक 170, दिनांक 2 मे 1966, पृ.2.
14. पाक्षिक, 'युगांतर', महाराष्ट्र राज्य कम्युनिस्ट दल का मुखपत्र, दिनांक 12 जून पृ.1.
15. पाक्षिक, 'युगांतर', महाराष्ट्र राज्य कम्युनिस्ट दल का मुखपत्र,दिनांक 19 जून 1966 पृ. 3 व 8.

Scanned with OKEN Scanner

16. ब्मबपसपं ज्वतजंरंकं, क्वहमद ।सजपदइपसमा ंदक ेपजए झण ठपूं ;म्कद्धए प्उचंबजे व िसंतहम क्ंदेरू । हसवइंस ेमेउमदजए ̔चतपदहमत टमतसंह ठमतसपद भ्मपकमसइमतह,ए2012ए च्ंहम दवण्346ण
17. पाक्षिक, 'युगांतर', महाराष्ट्र राज्य कम्युनिस्ट दल का मुखपत्र, 23 जून 1969, पृ.1.
18. दैनिक नगर टाइम्स, वर्ष चतुर्थ, अंक 162, दिनांक 11 अप्रैल 1969, पृ. 1.
19. दैनिक नगर टाइम्स, वर्ष चतुर्थ, अंक 16, दिनांक 24 अप्रैल 1974, पृ. 3.
20. कॉमरेड रत्नाकर राम, 'समाजवादी संघर्षयात्री', अहमदनगर जिला कॉमरेड वकीलराव लंघे पाटील गौरव विशेषांक, अध्यक्ष यशवंतराव गडाख, ता. नेवासा, 5 डिसेंबर 1995,पृ. 24.
21. जीम डींतीजतं त्मेमजजसमउमदज व िच्तवरमबज क्पेचसंबमक च्मतेवदे ।बजए 1976 ।बज 41 व ि1976ए चण 10 जव 16ण
22. दैनिक नगर टाइम्स, वर्ष गयारहवा, अंक 45, दिनांक 18 डिसेंबर 1976, पृ.2.
23. वही, वर्ष 13, अंक 239, दिनांक 12 जुलाई 1978, पृ.1.
24. पाक्षिक, 'युगांतर', महाराष्ट्र राज्य कम्युनिस्ट दल का मुखपत्र,5 अक्तूबर 1980,पृ. 1.
25. कॉमरेड भगवान गायकवाड,साक्षात्कार, 23 अगस्त 2014, तालुका सचिव भाकप, शेवगाव, जि. अहमदनगर.

Scanned with OKEN Scanner